

कार्यालय

क्रमांक

दिनांक :

एमएसीपी में विकल्प पत्र के संबंध में

वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 06.10.2023 के नियम 14(6) के अनुसार अधिसूचना दिनांक से तीन माह (06.10.2023 से 05.01.2024) में एसीपी/एमएसीपी हेतु कार्यालयध्यक्ष को लिखित में विकल्प पत्र प्रस्तुत किया जाना था उक्त अवधि में विकल्प पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले कार्मिकों पर स्वतः ही एमएसीपी विकल्प माना जावेगा। अतः निम्नांकित कार्मिकों द्वारा विकल्प पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर निर्धारित अवधि पश्चात नियमानुसार एमएसीपी विकल्प मान्य है।

कार्मिका का नामपद.....एमएसीपी देय तिथि.....

डीडीओ हस्ताक्षर मय मोहर